

पुलिस

कमिश्ररेट

गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 22.04.2021

1-थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा चेन स्नैचिंग करने वाला 01 लूटेरा बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 01 पीली धातु का टुकडा व 01 अवैध हथियार मय कारतूस व लूट के 1200 रूपये नगद व घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 21/04/2021 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा चेन स्नैचिंग करने वाला 01 शातिर लूटेरा बदमाश अमन कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी डी-40 झण्डे वाली गली वेस्ट विनोद नगर, थाना मण्डावली दिल्ली को थाना क्षेत्र के दिल्ली बार्डर सेक्टर 7 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल केटीएम व 01 पीली धातु का टुकडा सबंधित मु0अ0स0 348/2021 धारा 392 भादिव व 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 1200 रूपये नगद सबंधित मु0अ0सं0 243/2021 धारा 392 भादिव बरामद किये गये है।

अभियुक्त का विवरणः

अमन कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी डी-40 झण्डे वाली गली वेस्ट विनोद नगर थाना मण्डावली दिल्ली। पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

- 1. मु०अ०सं० ३४८/२०२१ धारा ३९२/४११ भादवि थाना सेक्टर २० गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु०अ०सं० २४३/२०२१ धारा ३९२/४११ भादवि थाना सेक्टर २० गौतमबुद्धनगर।
- 3. मु०अ०सं० ३५२/२०२१ धारा ३/२५ आर्म्स. एक्ट थाना सेक्टर २० गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

- 1. घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल केटीएम डीएल 6 एसएआर 0178
- 2. 01 पीली धातु का टुकडा सबंधित मु०अ०स० ३४८/२०२१ धारा ३९२) भादवि

- 3. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 4. 1200 रूपये नगद सबंधित मु०अ०सं० 243/2021 धारा 392 भादवि



2-थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से भिन्न -भिन्न कंपनियों के 18 सी.पी.यू, डायलर व फोन बरामद।

दिनांक 22.04.2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य 1. अवनीश नागर पुत्र प्रेमपाल निवासी रेलवे रोड दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (कम्पनी डायरेक्टर) 2. चन्द्र मोहन झा पुत्र राजकुमार झा निवासी म0न0 48 गांव नरूअर अंचल थाना फैरब स्पैम जिला मधुबनी, बिहार वर्तमान पता राजवीर चौहान का मकान गली नं. 3 ग्राम छलैरा सेक्टर 44 नोएडा (टीम लीडर) को थाना क्षेत्र के H 61, सेक्टर 63 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से भिन्न -भिन्न कंपनियों के 18 सी.पी.यू, डायलर व फोन बरामद किये गये है।

घटना का विवरणः

अभियुक्तों द्वारा M/S GET IN TUCH SOLUTION कम्पनी का फर्जी कार्यालय/कॉल सेन्टर खोलकर आस्ट्रेलिया व अन्य देशों से एक्सीडेंट के मामलों का अवैध रूप से डाटा खरीदकर एक्सीडेंट पर्सन से इंटरनेट कॉल कर एक्सीडेंट क्लेम कराने के नाम पर धोखाधड़ी से अपनी कंपनी के अकाउन्ट में प्रतिदिन लाखो रुपये ऑनलाइन मंगवाकर हडप रहे थे।

अभियुक्तों का विवरणः

1. अवनीश नागर पुत्र प्रेमपाल निवासी रेलवे रोड दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (कम्पनी डायरेक्टर)।

2. चन्द्र मोहन झा पुत्र राजकुमार झा निवासी म0न0 48 गांव नरूअर अंचल थाना फैरब स्पैम जिला मधुबनी, बिहार वर्तमान पता राजवीर चौहान का मकान गली नं. 3 ग्राम छलैरा सेक्टर 44 नोएडा (टीम लीडर)।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु०अ०स० ३१९/२०२१ धारा ४१९/४२० भादवि, ६६ (सी)/६६(डी) आई.टी एक्ट थाना फेस ३ गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

- 1. भिन्न भिन्न कम्पनी के 18 सी.पी.यू
- 2. डायलर व फोन



3-थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा एक वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल, अवैध हथियार मय कारतूस व 10 चाबी अलग-अलग मोटरसाइकिल की बरामद।

दिनांक 22/04/2021 को थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा एक वाहन चोर शानू पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी गली न0 32 खजूर कॉलोनी थाना सेक्टर 39 नोएडा मूल निवासी ग्राम सलेमपुर कोटला थाना धौलाना जिला हापुड़ को थाना क्षेत्र के बिल्ला बौंग स्कूल सेक्टर 34 नोएडा के सामने मैन रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल 1. एच एफ डिलैक्स डीएल 4 एस बीयू 9836 2. सी डी डॉन एचआर 26 बीयू 3609, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 व 10 चाबी अलग-अलग मोटरसाइकिल की बरामद हुई है।

अभियुक्त का विवरणः

शानू पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी गली न0 32 खजूर कॉलोनी थाना सेक्टर 39 नोएडा मूल निवासी ग्राम सलेमपुर कोटला थाना धौलाना जिला हापुड।

आपराधिक इतिहास का विवरणः

- 1. मु०अ०सं० २५५/२०२१ धारा ४१४ भादवि थाना सेक्टर २४ गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु०अ०स० २५६/२०२१ धारा ३/२५ आर्मस एक्ट थाना सेक्टर २४ गौतमबुद्धनगर।
- 3. मु०अ०सं० २३१/२०१७ धारा ३७९/४११ भादवि थाना सेक्टर ३९ गौतमबुद्धनगर।
- ४. मु०अ०सं० २७६/२०१७ धारा ३९२/४११ भादवि थाना सेक्टर ३९ गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु०अ०सं० १९१/२०१८ धारा ४२०/४११/४१४ भादवि थाना सेक्टर ३९ गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

- 1.चोरी की 02 मोटरसाइकिल 1. एच एफ डिलैक्स डीएल 4 एस बीयू 9836 2. सी डी डॉन एचआर 26 बीयू 3609
- 2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315
- 3.10 चाबी अलग-अलग मोटरसाइकल की



#दिनांक 22/04/2021 को बच्चों,बुजुर्गों व महिलाओं आदि यात्रियों को लेकर दिल्ली से बिहार जा रही एक बस फिल्म सिटी के पास खराब हो गई थी जिस पर मौके पर पहुंचे टीआई आशुतोष व उनके साथ मौजूद अन्य पुलिसकर्मीयों द्वारा बस में सफर कर रहे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं व अन्य लोगों के लिए बिस्किट, पानी व खाने के पैकेट का इंतजाम कराया गया तथा उन सभी को उनके गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए एक अन्य बस की व्यवस्था की गई। टीआई आशुतोष व उनके साथ मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा किये गये इस सराहनीय कार्य के लिए बस में सफर कर रहे लोगों व वहां अन्य मौजूद लोगों द्वारा सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

#दिनांक 22-04-2021 को पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस और पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय के निर्देशन में कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिये जनपद के 98 स्थानों पर कराया गया सेनिटाइज

जनपद गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न भागों में फायर सर्विस की गाड़ियां बुधवार के दिन सैनिटाइजेशन करने के लिए सड़कों पर उतरी। इन गाड़ियों द्वारा सैनिटाइजेशन करते हुए कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है

गौतम बुद्ध नगर की अग्निशमन शाखा ने सैनिटाइजेशन हेतु विशेष अभियान चलाते हुए गाड़ियों द्वारा जनपद में 98 स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया



#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू/रविवार के दिन लागू लॉकडाउन के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 22.04.2021 को 974 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 1,09,700 रुपये का जुर्माना वसूला गया साथ ही 2 व्यक्तियों को मास्क सम्बन्धी नियम की पुनरावृत्ति करने पर संशोधित दर 10,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

961 वाहनों का चालान करते हुए कुल 66800 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 03 वाहनों को सीज भी किया गया।